सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेसनोट दिनांक - 02.06.2026

- **#वादी ही निकला अपराधी।**
- **इटावा पुलिस की प्रभावी विवेचना से निर्दोष को झूठे आरोपों से बचाया गया।**
- **जेवर हड़पने की नीयत से मिथ्या साक्ष्य गढ़कर पुलिस को भ्रमित करने तथा निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की साजिश रचने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण एवं साक्ष्यों के आधार पर इटावा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर के नेतृत्व में थाना बढ़पुरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 01.06.2026 को वादी रामपाल पुत्र करोड़ी निवासी गाती थाना बढ़पुरा जनपद इटावा द्वारा थाना बढ़पुरा पर सूचना दी गयी कि वादी की बेटी का शादी में चढ़ाया गया जेवर उसके अपने दामाद अभिषेक पुत्र संजीव व अभिषेक के चाचा विजय पुत्र रामप्रकाश निवासी देशरमऊ थाना फ्रेण्ड्सकॉलोनी द्वारा हड़प लिया गया है। सूचना के आधार पर थाना बढ़पुरा पर **मु0अ0सं0 47/26 धारा 303(2)/318(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। **नोटः- घटना की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना बढ़पुरा पुलिस को घटना के अनावरण/जांच के निर्देश दिए गये।**

विवेचना के दौरान संकलित तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण से वादी द्वारा बताये गये घटनाक्रम की पुष्टि नहीं हुई। वादी रामपाल द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नामजद व्यक्तियों को झूठे अभियोग में फंसाने के उद्देश्य से झूठी सूचना दी गयी थी। विवेचना में नामजद अभिषेक पुत्र संजीव व उसके चाचा विजय पुत्र रामप्रकाश के विरुद्ध लगाए गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। जिसके उपरान्त वादी रामपाल को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ एवं विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि नामजद व्यक्तियों के साथ चल रहे आपसी विवाद के कारण उन्हें कानूनी परेशानी में डालने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से मिथ्या साक्ष्य गढ़कर पुलिस को भ्रामक सूचना दी गयी थी तथा झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के सम्बन्ध में प्रस्तुत तथ्यों एवं वास्तविक परिस्थितियों में पर्याप्त विरोधाभास पाए जाने पर की गयी गहन जांच में प्रकरण का सफल अनावरण किया गया।

उक्त गिरफ्तारी के संबंध मे थाना बढपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 47/26 धारा 303(2)/ 318(2) बीएनएस में धारा 303(2)/318(2) बीएनएस का लोप व धारा 217/248 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. रामपाल पुत्र करोड़ी निवासी गाति थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 47/26 धारा 217/248 बीएनएस थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार मिश्र थाना बढ़पुरा मय टीम।

थाना बढ़पुरा
जनपद इटावा उ.प्र.
सत्य मेव जयते
स्थापित वर्ष -1837 पुन:स्थापित वर्ष -1926
थाना बढ़पुरा जनपद इटावा